

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9902
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 16.12.25

अप्रार्थीगण

1 बांकाराम पुत्र ईशाराराम वगैराह
जाति जाट निवासी सुथारों का
कुआ, हाथीतला तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 चैनाराम पुत्र मोटाराम वगैराह जाति जाट निवासी
जान्दुओं की नाडी हाथीतला तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 336/2025

दिनांक- 07/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हाथीतला पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर के
खेत खसरा संख्या 123 रकबा 1.4973 हैक्टेयर, भूमि मौजा सुथारों का कुआ पटवार हल्का
हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 460 रकबा 0.0324 हैक्टेयर व खसरा
संख्या 641/461 रकबा 15.4104 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक
तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 16.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9903 - 9906

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी हाथीतला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण बांकाराम पुत्र ईशाराराम वगैराह जाति जाट निवासी सुथारों का कुआ, हाथीतला
तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण चैनाराम पुत्र मोटाराम वगैराह जाति जाट निवासी जान्दुओं की नाडी हाथीतला
तहसील व जिला बाड़मेर।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर